

सं. 24 -37/2021-पीडी-II (ई-374544)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001,
दिनांक : 15 मई, 2021

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
खाद्य और आपूर्ति विभाग,
सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

विषय :- कोविड की अवधि के दौरान पर्याप्त समय के लिए उचित दर दुकानों का प्रचालन
आदि के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा लॉकडाउन के दौरान उचित दर दुकानों के कामकाज के समय को कम कर दिया गया है जिसके कारण अपेक्षित लाभार्थियों को अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा।

2. भारत सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाईयों को कम करने के लिए गरीबों के हित में उपाय किए गए हैं जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई-।।।) के अधीन मई-जून, 2021 के माह के लिए सभी एनएफएसए राशन कार्डधारकों को 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर पर अतिरिक्त खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण किया जाता है ताकि एनएफएसए मानदंडों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियमित खाद्यान्नों का वितरण करने के अलावा एनएफएसए के अधीन कवर किए गए लगभग 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न सुनिश्चित किए जा सकें जिससे कि उन्हें संकट की इस मौजूदा अवधि के दौरान खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई न हो।

3. इस बात पर विचार करते हुए कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सभी लाभार्थियों को ये अतिरिक्त खाद्यान्न सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं, यह और भी अनिवार्य हो जाता है कि आवश्यक लेनदेन के लिए उचित दर दुकानों और लाभार्थियों को समान रूप से पर्याप्त समय देना सुनिश्चित किया जाए।

4. इसलिए, सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया जाता है कि पीएमजीकेवाई और एनएफएसए खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए उचित दर दुकानों को अधिमानतः माह के प्रत्येक दिन पर खोलना सुनिश्चित किया जाए। उचित दर दुकानों को उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र सहित सभी अपेक्षित पहलुओं के संबंध न्यूनतम आवश्यक सूचना प्रमुख रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए।

फा.सं..24-37/2021-पीडी-।।।

5. खाद्यान्नों का वितरण दिनभर अलग-अलग समय पर किया जाए ताकि एक ही समय पर उचित दर दुकान में/ एक ही स्थान पर अधिक संख्या में लाभार्थी/ व्यक्ति इकट्ठा न हों/ पंक्ति में न लगे।
6. चूंकि खाद्यान्न आवश्यक वस्तुओं के अधीन कवर होते हैं, इसलिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि उचित दर दुकानों को बाज़ार खुलने के प्रतिबंधित समय से छूट देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उचित दर दुकानों पर उचित सामाजिक दूरी, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तथा अनावश्यक व्यक्तियों की उपस्थिति/ आगमन आदि से बचना चाहिए।
7. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह परामर्श दिया जाता है कि लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के समय पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
8. मीडिया के सभी माध्यमों के उपयोग द्वारा राज्य के सभी हिस्सों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

भवदीय,
(राजेश कुमार पंडीर)
अवर सचिव, भारत सरकार